न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 25 / 2019

निर्णय दिनांकः– 31.07.2019

उनवान

1. सुनील पुत्र लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. गोविन्द पुत्र लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. मीनू पुत्री लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. मन्जू पत्नि लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–वादीगण

बनाम

1. प्रसन्ना बाई बेवा बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
2. रामकिशोर पुत्र गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
3. भूवनेश गौतम पुत्र ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
4. उषा पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
5. निशा पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
6. फूला पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
7. तहसीलदार निवाई
8. उपपंजीयक निवाई

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्साज
एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा वकील वादीगण

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा एवं पिता स्व. गजानन्द पुत्र धूलीलाल के द्वारा छोडी गई पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 930, 2515, 2518, 4508 कुल किता 04 कुल रकबा 10–02 बीघा वाके ग्राम झिलाय में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा निहित है। वादपत्र के चरण सं. 1 में वर्णित सजरे अनुसार स्व. गजानन्द जी के चार पुत्र संताने एवं एक पत्नि गेन्दी देवी उनकी मृत्यु के समय जीवित वारिसान थे जिनके नाम स्व. गजानन्द जी की फोती नामांतकरण सं. 834 दिनांक 21.7.1982 को खोला गया था जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सभी बराबर बराबर हक व हिस्से के विधिक अधिकारी है। वादीगण के दादा गजानन्द जी के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण बाबू राधामोहन जी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रसन्ना प्रतिवादी सं. 2 रामकिशोर जी एवं प्रतिवादी सं. 3ता6 के पिता ज्वालाप्रसाद जी के

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)निवाई

Scanned by CamScanner

नाम नामांतकरण सं. 834 से अंकित की गई थी किन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि के नामांतकरण सं. 834 का राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी संवत् 2035–2038 में उक्त नामांतकरण का अमल करते वादी के बाबा राधामोहन जी का नाम सहवनवश व त्रुटिवश छोड दिया जिसके कारण वादीगण के बाबा राधामोहन जी के हक व हिस्से की भूमि वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण के हक में गलत रूप से चली गई जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सभी बराबर 1/4–1/4 हक व हिस्से के उपरोक्त सजरे अनुसार मालिक स्वामी है। अतः वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज की इस अनर से डिकी सादिर फरमावे कि भूमि ख.नं. 930/1 रकबा 03–08 बीघा, ख.नं. 2515 रकबा 01–16 बीघा, ख.नं. 2518 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 4508 रकबा 04–14 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 10–02 बीघा वाके ग्राम झिलाय तहसील निवाई में वादीगण को 1/4 हक व हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हक व हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हक व हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 3ता6 को 1/4 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज इन्द्राज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त आधिपत्य में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखल बाधा मजाहमत व्यवधान नहीं करें।

दावा पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बाद चस्पानगी सम्मन अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। वकील वादी की ओर से PW1 सुनील व PW2 मंजू के शपथ–पत्र पेश किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील वादी ने प्रस्तुत वाद का दोहरान करते हुए बहस में बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाबा एवं पिता स्व. गजानन्द पुत्र धूलीलाल के द्वारा छोडी गई पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 930, 2515, 2513, 4508 कुल किता 04 कुल रकबा 10–02 बीघा वाके ग्राम झिलाय में स्थित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का बराबर बराबर हक व हिस्सा निहित है। वादपत्र के चरण सं. 1 में वर्णित सजरे अनुसार स्व. गजानन्द जी के चार पुत्र संताने एवं एक पत्नि गेन्दी देवी उनकी मृत्यु के समय जीवित वारिसान थे जिनके नाम स्व. गजानन्द जी की फोती नामांतकरण सं. 834 दिनांक 21.7.1982 को खोला गया था जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण सभी बराबर बराबर हक व हिस्से के विधिक अधिकारी है। वादीगण के दादा गजानन्द जी के स्वर्गवास के पश्चात् वादीगण बाबा राधामोहन जी एवं प्रतिवादी सं. 1 प्रसन्न प्रतिवादी सं. 2 रामकिशोर जी एवं प्रतिवादी सं 3ता6 के पिता ज्वालाप्रसाद जी के नाम नामांतकरण सं. 834 से अंकित की गई थी किन्तु उपरोक्त वर्णित भूमि के नामांतकरण सं. 834 का राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबन्दी संवत् 2035–2038 में उक्त नामांतकरण का अमल करते वादी के बाबा राधामोहन जी का नाम सहवनवश व त्रुटिवश छोड दिया जिसके कारण वादीगण के बाबा राधामोहन जी के हक व हिस्से की भूमि वादीगण के बजाय प्रतिवादीगण के हक में गलत रूप से चली गई जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण सभी बराबर 1/4–1/4 हक व हिस्से के उपरोक्त सजरे अनुसार मालिक स्वामी है। अतः वादीगण की अधियाचना है कि वाद बहक प्रतिवादीगण बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज की इस अनर से डिकी सादिर फरमावे कि भूमि ख.नं. 930/1 रकबा 03–08 बीघा, ख.नं. 2515 रकबा 01–16 बीघा, ख.नं. 2518 रकबा 0–04 बीघा, ख.नं. 4508 रकबा 04–14 बीघा कुल किता 04 कुल रकबा 10–02 बीघा वाके ग्राम झिलाय तहसील निवाई में वादीगण को 1/4 हक व हिस्से का तथा प्रतिवादी सं. 1 को 1/4 हक व हिस्से का एवं प्रतिवादी सं. 2 को 1/4 हक व हिस्से एवं प्रतिवादी सं. 3ता6 को 1/4

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned by CamScanner

हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उपरोक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज इन्द्राज की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। तथा जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जेकाश्त आधिपत्य में प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार की दखल बाधा मजाहमत व्यवधान नहीं करें।

एकतरफा बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्व. गजानन्द जी की फोती नामांतकरण सं. 834 दिनांक 21.7.1982 वाके ग्राम झिलाय में राधामोहन जी का नाम अन्य वारिसान के साथ दर्ज किया गया था। उक्त नामांतकरण का जमाबन्दी में अमल करते समय सहवन से राधामोहन जी का नाम दर्ज जमाबन्दी नहीं हो पाया है। अतः वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 930, 2515, 2518, 4508 कुल किता 04 कुल रकबा 10–02 बीघा वाके ग्राम झिलाय में स्व. गजानन्द जी की फोती नामांतकरण सं. 834 दिनांक 21.7.1982 वाके ग्राम झिलाय में वारिसान के साथ दर्ज वादीगण के बाबा राधामोहन का नाम दर्ज जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 मे नहीं होने के कारण स्व. राधामोहन के वारिसान की नियमानुसार जांच कर राधामोहन के वारिसान का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

जे.पी.बैरवा
(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक), निवाई

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) निवाई द्वारा अध्यासित)

(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1. सुनील पुत्र लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. गोविन्द पुत्र लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. मीनू पुत्री लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. मन्जू पत्नि लक्ष्मीकान्त जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई जिला टोंक राज.

—वादीगण

बनाम

1. प्रसन्ना बाई बेवा बृजमोहन जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
2. रामकिशोर पुत्र गजानन्द जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
3. भूवनेश गौतम पुत्र ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
4. उषा पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
5. निशा पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
6. फूला पुत्री ज्वालाप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी झिलाय तहसील निवाई
7. तहसीलदार निवाई
8. उपपंजीयक निवाई

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा संख्याः—25 / 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री जे.पी. बैरवा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री रामावतार शर्मा वकील वादी मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेश दिये जाते है कि वादवर्णित भूमि ख.नं. 930, 2515, 2518, 4508 कुल किता 04 कुल रकबा 10—02 बीघा वाके ग्राम झिलाय में स्व. गजानन्द जी की फोती नामांतकरण सं. 834 दिनांक 21.7.1982 वाके ग्राम झिलाय में वारिसान के साथ दर्ज वादीगण के बाबा राधामोहन का नाम दर्ज जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 मे नहीं होने के कारण स्व. राधामोहन के वारिसान की नियमानुसार जांच कर राधामोहन के वारिसान का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 07 सन् 2019 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
निवाई (टोंक)

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) निवाई

Scanned by CamScanner